रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 21 जून, 2005/31 ज्येष्ठ, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जून, 2005

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-18/2005-लेज.- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18 जून, 2005 को प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

2005 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4.

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2005

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का 14) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2005 है ।

धारा 5 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है की धारा 5 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार—

(क) मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रत्येक वित्तिय वर्ष में राजस्व घाटे को कम करने और उसके पश्चात् अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए ;

(ख) राजकोषीय घाटे को, कुल राज्य घरेलु उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाने हेतु उत्तरोत्तर कम करने के लिए ; और

(ग) दीर्घकालिक ऋण पर इसकी परादेय प्रतिभूतियों को उत्तरोत्तर कम करने के लिए, जब तक कि यह परादेय जोखिम भारित प्रत्याभूतियों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियो के 80 प्रतिशत तक समाप्त न कर दें, जिस के लिए वित्त लेखो के अनुसार वास्तविक उपलब्ध है, प्रयास करेगी" ।

धारा 6 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ग) सरकारी, पब्लिक सेक्टर और सहबद्ध संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या और सम्बन्धित वेतन के ब्यौरे ।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए उपाय ;

(ख) धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन राजकोषीय सूचक ;

(ग) धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान का स्वरूप ;

(घ) धारा 6 की उप-धारा (2) (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रकटीकरण के लिए विवरणों का स्वरूप ; और

(ङ) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन रिपोर्ट का स्वरूप"।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला :
तारीख . . जून, 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 4 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT AMENDMENT ORDINANCE, 2005

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty sixth year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 14 of 2005).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2005.

Amendment of section 5.

14 of 2005

2. In section 5 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), for sub-section (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall endeavour to—

(*a*) reduce revenue deficit every financial year compared to previous financial year to eliminate revenue deficit by March, 2009 and generate revenue surplus thereafter;

(*b*) progressively reduce fiscal deficit to bring it to three per cent of Gross State Domestic Product; and

(*c*) progressively reduce its outstanding guarantees on long term debt, until it can cap outstanding risk weighted guarantees at eighty per cent of total revenue receipt in the preceding financial year for which actuals are available as per finance accounts.".

Amendment of section 6.

3. In section 6 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (*b*), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(C) the details of number of employees in Government, Public Sector and Allied Institutions and related salaries.".

Amendment of section 8.

4. In section 8 of the principal Act, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(*a*) the measures for evaluation of the fiscal position of the State Government under clause (*f*) of section 2;

(*b*) the fiscal indicators under sub-section (2) of section 3;

(*c*) the form of medium term fiscal plan under sub-section (4) of section 3;

(*d*) the form of statement for disclosure under clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of sub-section (2) of section 6; and

(*e*) the form of review report under sub-section (1) of section 7.".

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हि० प्र०, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।